51

संख्या : 2015 / 1–10–2012–12(2) / 2013

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू0,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 29 ~~मार्च~~ अगस्त 2013

विषयः वर्ष 2013–14 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याा–223 / दै0आ0सहा0 / 2013, दिनॉक 16–7– 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013–14 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना हेतु प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,अमरोहा की कुल परियोजनाओं / कार्यों(मोहसनपुर(देवीपुर) मार्ग से पपसरी खादर मार्ग की मरम्मत का कार्य,टोकरा पट्टी से पपसरा मार्ग की मरम्मत का कार्य,चकनवाला से बाह नदी तक मार्ग की मरम्मत का कार्य एवं ढयोटी से वसी मुस्तकम मार्ग की मरम्मत का कार्य) अर्थात् कुल 4 कार्यों / परियोजनाओं को छोडकर शेष 05 कार्यों / परियोजनाओं के लिये मांगी गई धनराशि रू0 1,39,48,000 / – के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **कुल धनराशि रू0 69,74,000 / – (रूपये उनत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2011–12 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त साार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना / मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0–78 / पी0एस0आर0 / 2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या–32–7 / 2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785 / 1–10–2011–12 (73) / 2008, दिनांक 14.10.2011 शा0सं0–1349 / 1–10–2012–रा0–10–12(73) / 2008 दिनॉक–17 मई, 2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. वर्ष 2011 की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो राजस्व अनुभाग–11 के संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11 दिनांक 04 मार्च, 2013 में उल्लिखित दिशा निर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2815/1–10–2012–12(2)/2013– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2– आयुक्त मुरादाबाद मण्डल,मुरादाबााद।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अमरोहा।
7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8— ✓ समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

27/4/17

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।